42

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह0**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3888–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–11–2016 पारित द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 264/अ–19/2013–14.

सुमरू महरा वल्द गंगू मेहरा
निवासी ग्राम मानेगांव तहसील
व जिला सिवनी म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर सिवनी

.....अनावेदक

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4-1-2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक सुमरू वल्द गंगू मेहरा ने ग्राम मानेगांव तहसील व जिला सिवनी स्थित आराजी खसरा कं 93 रकवा 2.360 हे0 को भूमिस्वामी हक प्रदान करने बावत आवेदन तहसीलदार सिवनी के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने उक्त आवेदन को अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया तथा अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर सिवनी को प्रेषित किया जिसपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कलेक्टर द्वारा अग्रिम कार्यवाही के पश्चात आदेश दिनांक 21–11–2012 को आवेदक का आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा

आयुक्त जबलपुर को अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त ने आदेश दिनांक 07–11–2016 के द्वारा अपील आवेदन खारिज किया। आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि वर्ष 1916–17 में मालगुजारी द्वारा व्यक्तिगत सेवा के रूप में मिसल नं. 28 रकवा 5.98 हे0 सियाम व बहोरी सा. देह माफी खिदमी भूमि प्रदान की थी। आवेदक कोटवार का नाम खसरा कं 93 रकवा 2.360 हे0 सेवा खातेदार के रूप में आज दिनांक दर्ज चली आ रही है। म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के निर्देश दिनांक 23–2–2008 के अनुसार जिन कोटवारों को मालगुजारों द्वारा भूमि व्यक्ति सेवा के रूप में दी गई है, ऐसी भूमि का भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने के संबंध में प्रकरणों का परीक्षण गुण–दोषों के आधार पर कर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश जारी किये गये थे जिसके आधार पर आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। परन्तु कलेक्टर द्वारा उक्त शासन के परिपत्र एवं आवेदक के 100 वर्षो के रिकार्ड का बिना विचार किये आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि आवेदक खिदमती कोटवार सियाम आत्मज बहोरी मेहरा का उत्तराधिकारी है। आवेदक कोटवार है और प्रश्नाधीन भूमि पर खसरों में आज भी उसका नाम हैं एवं काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है। इन तथ्यों की पुष्टि पटवारी रिपोर्ट, तहसीलदार रिपोर्ट एवं खसरों से भी होती है, परन्तु इन सभी बिन्दुओं पर कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा ध्यान नहीं दिया है। तर्क में यह भी कहा कि कलेक्टर द्वारा सभी बिन्दुओं जांच की गई जिसमें आवेदक के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी परन्तु कलेक्टर ने मात्र इस आधार पर की आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि कोटवार पद की सेवा भूमि के रूप में प्राप्त हुई और सेवा भूमि को भूमिस्वामी हक प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है, यह मानते हुये आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है क्योंकि आवेदक के पूर्वज को प्रश्नाधीन भूमि मालगुजारी द्वारा व्यक्तिगत सेवा के रूप में प्रदान की गई है और तब से ही प्रश्नाधीन भूमि उसके

एवं उसके पूर्वजों के आधिपत्य में रही है। आवेदक को मौरूसी कृषक के अधिकार भी प्राप्त हो गये हैं परन्तु कलेक्टर ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है और आयुक्त ने भी कलेक्टर के आदेश को उचित मानने में त्रुटि की है। अतः दोनों आदेश निरस्त किये जाकर आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी हक प्रदान किया जाये। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि कलेक्टर द्वारा विधिवत जांच करने के उपरांत जो आदेश पारित किया है वह उचित है और कलेक्टर के विधिसम्मत आदेश को आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः इस निगरानी में कोई आधार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं खसरों का अवलोकन किया। प्रकरण एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1916–17 में मालगुजारी द्वारा व्यक्तिगत सेवा के रूप में मिसल नं. 28 रकवा 5.98 हे0 सियाम व बहोरी सा. देह माफी खिदमी भूमि प्रदान की थी। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मालगुजार द्वारा व्यक्गित सेवा के रूप में दी गई भूमि जिसका पुराना सर्वे कमांक 28 था, का वर्तमान में खसरा कमांक 93 है। आवेदक एवं उनके पूर्वजों का नाम खसरा कं 93 रकवा 2.360 हे0 सेवा खातेदार के रूप में आज दिनांक दर्ज चला आ रहा है। आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश के परिपत्र कमांक 1595/11–भू.प्र./भू.अभिलेख/कोटवार/2007ग्वालियर दिनांक 26–3–08 को कोटवार की सेवा शर्ते में सुधार के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे जिसके पद कमांक 2 में यह अंकित किया गया था कि – जिन कोटवारों को मालगुजारों द्वारा भूमि व्यक्तिगत सेवा के रूप में दी गई है। दस्तावेजों में उपलब्ध आयुक्त जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत सत्यापित सजरा खानदान की छायाप्रति है जिसमें लेख है कि सियाम का पुत्र

दुकाली तथा दुकाली की पुत्री शांताबाई एवं शांताबाई का वारिस पुत्र सुमरू है। स्पष्ट है कि मालगुजार से भूमि प्राप्तकर्ता सियाम का वारिस सुमरू है जो वर्तमान में भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहे हैं। ऐसी भूमि का भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने के संबंध में प्रकरणों का परीक्षण गुण–दोषों के आधार पर कर प्रकरण का निराकरण किया जाना चाहिए था। इसी संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ–2–6/07/सात–एक भोपाल दिनांक 03–3–2010 में पूर्व में जारी निर्देशों जारी किये कि कोटवारों को मालगुजारों द्वारा भूमि व्यक्तिगत सेवा के रूप में दी गई है, ऐसी भूमि का भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने के संबंध में प्रकरणों का परीक्षण गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाना प्रावधानित किया है। इसके अतिरिक्त म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के निर्देश दिनांक 23–2–2008 के अनुसार जिन कोटवारों को मालगुजारों द्वारा भूमि व्यक्ति सेवा के रूप में दी गई है, ऐसी भूमि का भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने के संबंध में प्रकरणों का परीक्षण गुण–दोषों के आधार पर कर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश जारी किये गये थे जिसके आधार पर आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। परन्तु कलेक्टर द्वारा उक्त शासन के परिपत्र एवं आवेदक के 100 वर्षो के रिकार्ड का बिना विचार किये आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। जैसा कि ऊपर निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक खिदमती कोटवार सियाम आत्मज बहोरी मेहरा का उत्तराधिकारी है। आवेदक कोटवार है और प्रश्नाधीन भूमि पर खसरों में आज भी उसका नाम हैं एवं काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है। इन तथ्यों की पुष्टि पटवारी रिपोर्ट, तहसीलदार रिपोर्ट एवं खसरों से भी होती है, परन्तु इन सभी बिन्दुओं पर कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा ध्यान नहीं दिया है। कलेक्टर ने मात्र इस आधार पर की आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि कोटवार पद की सेवा भूमि के रूप में प्राप्त हुई और सेवा भूमि को भूमिस्वामी हक प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है, यह मानते हुये आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है क्योंकि

आवेदक के पूर्वज को प्रश्नाधीन भूमि मालगुजारी द्वारा व्यक्तिगत सेवा के रूप में प्रदान की गई है और तब से ही प्रश्नाधीन भूमि उसके एवं उसके पूर्वजों के आधिपत्य में रही है। इतने अधिक वर्षो तक प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज रहने के कारण आवेदक को मौरूसी कृषक के अधिकार भी प्राप्त हो गये हैं परन्तु कलेक्टर ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है और आयुक्त ने भी कलेक्टर के आदेश को उचित मानने में त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के दोनों आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। आयुक्त जबलपुर का आदेश दिनांक 07–11–2016 एवं कलेक्टर सिवनी का आदेश दिनांक 21–11–2012 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार सिवनी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर से अहस्तांतरणीय विलोपित कर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करें।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर